



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64352

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2449/2026

सूरजपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पीयूष कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 25/2026, धारा 69, 89, 123 बी.एन.एस., थाना- बीसलपुर, जिला पीलीभीत के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक और पीड़िता के बीच कथित तौर पर सहमति से संबंध थे और विवाह का कोई झूठा वादा नहीं किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक देरी से दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण और धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयानों में विसंगति है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि वर्तमान मामले में आवेदक एकमात्र अभियुक्त है। उसने शादी का झूठा वादा किया है और पीड़िता को सिंदूर लगाकर झूठी शादी भी की है। उनका तर्क है कि ऐसा झूठा वादा धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध बनाता है और कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है।
7. प्रथम दृष्टया, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो 13.01.2026 को दर्ज की गई है, विलंबित प्रतीत होती है। पीड़िता और आवेदक स्वीकार्य रूप से प्रेम संबंध में थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्च 2025 से नवंबर 2025 तक पीड़िता और आवेदक निरंतर शारीरिक संबंध में थे। पीड़िता को लगभग 26 वर्ष की वयस्क बताया गया है। आवेदक भी स्वयं को लगभग 22 वर्ष का वयस्क

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



होने का दावा करता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए संस्करण की तुलना में धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में सुधार प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त सभी कारकों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।
9. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
10. आवेदक- सूरजपाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
11. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"